न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– एन. एम. पहाडिया, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

मुकदमा नम्बर :– 75/2018 (आर.सी.एम.एस.नम्बर 2018/00119)

1. राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी, थाना निहालगंज———————— प्रार्थी।

बनाम

1. सालिगराम पुत्र बाबूलाल जाति वैश्य निवासी कालीमाई चौराहा शहर धौलपुर थाना निहालगंज शहर धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर ————————अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति : –
1. प्रार्थी की ओर से :– श्री दिव्या कमठान, सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)
2. अप्रार्थी की ओर से :– श्री कुसुमाकर गर्ग अभिभाषक ।

निर्णय दिनांक 17.12.2018

निर्णय

थानाधिकारी थाना निहालगंज ने एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विरूद्व अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि 16.5.2005 को एक तहरीरी रिर्पाट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर को श्री त्रिकोलीनाथ पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी पाण्डे मौहल्ला डीग हाल थानाधिकारी थाना कोतवाली ने मय जब्तशुदा शील्ड शुदा सिलेण्डर मार्क ए तथा खाली सिलेण्डर मार्क एक्स 1 से एक्स 7 तथा एक रिफिल सिलेण्डर भरने की मय फर्दात व गिरफतारशुदा मुल्जिम अप्रार्थी के उपस्थित थाना होकर पेश की कि दिनांक 16.5.2005 को समय 10.30 ए एम पर जरिये मुखबिर खास ने इत्तला मिली कि थाना निहालगंज इलाके में अप्रार्थी की दुकान कालीमाई का चौराया आर ए सी रोड पर बडे सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में अवैध रूप से गैस भरकर बेचता है इस सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय कार्यालय स्टाफ व थानाधिकारी कोतवाली व कानि. ओमप्रकाश 284 के अप्रार्थी की दुकान पर पहुँचा तो अप्रार्थी की दुकान कालीमाई का चौराया आ ए सी रोड पर बड़े सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में अवैध रूप से गैस भरता हुआ मिला दुकान को चैक किया तो दुकान में 2 सिलेण्डर बडे व 6 सिलेण्डर छोटे मिले जिनमें एक सिलेण्डर 2 लीटर का एक बडे सिलेण्डर में गैस भरी हुई है बाकी सिलेण्डर खाली है व गैस भरने की रिफिल सिलेण्डर पर लगी हुई मिली। अप्रार्थी से पूछा तो बताया कि वह बडे सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डरों में एल पी जी गैस भरकर बेचता है इस बावत गैस भरकर बेचने बावत लाईसैन्स के बारे में पूछा तो कोई लाईसेन्स नहीं होना बताया जिसका यह केश धारा 3/7 ई सी एक्ट की तारीफ में आने पर मुताविक फर्द जब्ती सिलेण्डर व रिफिल जब्त की गई तथा मुल्जिम अप्रार्थी को जरिये फर्द गिरफतारी गिरफतार किया जाकर थाने पर मुकदमा नमबर 108/2005 धारा 3/7 ई सी एक्ट कायम कर तफतीश की गई दौराने तफतीश बयानात गवाहन लिये गये नक्शा मौका घटनास्थल

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

कसीद किया गया फर्द जप्ती पॉच सिलेण्डर खाली व एक लीटर के तथा एक सिलेण्डर बडा 14.2 कि.ग्रा.का एच पी गैस का खाली एक रिफिल बडे सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डर में भरने की फर्द गिरफतारी फर्द खाना तलाशी नक्शा मकान फर्द नक्शा मौका फर्द इत्तला नकल रजिस्ट्रर मालखाना दीगर रिकोर्ड से मामला जुर्म धारा 3/7 ई सी एक्ट खिलाफ मुल्जिम अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 3/7 ई सी एक्ट का जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर चार्जशीट नम्बर 94/05 दिनांक 31.7.2005 किता की जाकर चालान न्यायालय सी जे एम धौलपुर में पेश किया गया न्यायालय द्वारा दिनांक 27.9.2016 को निर्णय कर अभियुक्त अप्रार्थी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है एवं उक्त प्रकरण में जब्तशुदा माल को धारा 6 एक आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नियमानुसार निस्तारण के आदेश दिये जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया कि उसे इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में आकर पेश करे।

अप्रार्थी की ओर से श्री कुसुमाकर गर्ग अभिभाषक ने अपना बकालतनामा पेश किया जिसके तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी के प्रकरण में कोई गैस सिलेण्डर जब्त नहीं हुए है। अप्रार्थी ने कभी भी कोई सुपुर्दगी बावत कोई प्रार्थना पत्र सिलेण्डर लेने बावत नहीं लगाया क्योकि अप्रार्थी से कोई गैस सिलेण्डर जब्त ही नहीं हुए। यदि कोई गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के जब्त होना बताये गये हैं तो उन सिलेण्डरों को राजसात करने में अप्रार्थी को कोई एतराज नहीं है। .

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ फर्द जब्ती दिनांक 16.5.2005 की फोटो प्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 16.5.2005 एफ.आर रिर्पोट 31.7.05 की फोटो प्रति, माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट धौलपुर के निर्णय दिनांक 27.9.2016 की फोटो प्रति, पेश की।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी अवैध रूप से बडे सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस रिफलिंग कर जनता को बेचता है । अप्रार्थी की दुकान पर 2 सिलेण्डर बडे व 6 सिलेण्डर छोटे मिले जिनमें एक सिलेण्डर 2 लीटर का एक बडे सिलेण्डर में गैस भरी हुई है बाकी सिलेण्डर खाली है व गैस भरने की रिफिल सिलेण्डर पर लगी हुई है गैस बेचने व रखने का लाईसैंस परमिट पूछा तो नहीं होना जाहिर किया अप्रार्थी का यह कृत्य धारा 3/7 आवश्यक अधिनियम की तारीफ में आना पाया जाता है। जिला रसद अधिकारी से आरपीपीएल का लाईसेन्स बावत पूछा गया तो कोई लाईसैन्स नहीं होना बताया गया शिवेन गैस एजेन्सी से तफतीश की गई इस प्रकार सम्पूर्ण हासला तफतीश बयानात गवाहान निरीक्षण घटनास्थल फर्दजप्ती नक्शा मौका फर्द गिरफतारी मुलजिम फर्द इत्तला मुलिजम व प्राप्त शुदा रिर्पोटो से अप्रार्थी द्वारा एल पी जी गैस वितरण एवं विनियमन आदेश 2000 की धारा 3 (1) (ई) 6-7 का उल्लघंन करना पाया गया जो धारा 3/7 ईसी एक्ट में दण्डनीय है। प्रकरण में जप्तशुदा माल को धारा 6 ए आवश्ययक वस्तु अधिनियम के तहत नियमानुसार राजसात किये जाने के आदेश दिये जावे ।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अकिंत तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया गया कि अप्रार्थी के प्रकरण में कोई गैस सिलेण्डर जब्त नहीं हुए है।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

अप्रार्थी ने कभी भी कोई सुपुर्दगी बावत कोई प्रार्थना पत्र सिलेण्डर लेने बावत नहीं लगाया क्योकि अप्रार्थी से कोई गैस सिलेण्डर जब्त ही नहीं हुए। यदि कोई गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के जब्त होना बताये गये हैं तो उन सिलेण्डरों को राजसात करने में अप्रार्थी को कोई एतराज नहीं है। .

उभय पक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अप्रार्थी अवैध रूप से बडे सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस रिफलिंग कर जनता को बेचता है । अप्रार्थी की दुकान पर 2 सिलेण्डर बडे व 6 सिलेण्डर छोटे मिले जिनमें एक सिलेण्डर 2 लीटर का एक बडे सिलेण्डर में गैस भरी हुई है बाकी सिलेण्डर खाली है व गैस भरने की रिफिल मिली। अप्रार्थी बिना लाईसैन्स के अवैध रूप से गैस सिलेण्डर रखने एवं बडे सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस भरने का कृत्य करता है । जब्तशुदा सिलेण्डर अप्रार्थी की दुकान से मिले हैं तथा वक्त निरीक्षण अप्रार्थी बडे सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डरों में गैस भरता पाया गया अतः अप्रार्थी का यह कहना कि जब्तशुदा सिलेण्डर उसके नहीं हैं सिद्ध नहीं होता है। जब्तशुदा सिलेण्डर अप्रार्थी के ही है। माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट ने अपने निर्णय दिनाक 27.9.2016 में जप्तशुदा माल को धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नियामानुसार निस्तारण के आदेश दिये हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जप्त शुदा 2 सिलेण्डर बडे व 6 सिलेण्डर छोटे मिले जिनमें एक सिलेण्डर 2 लीटर का एक बडे सिलेण्डर में गैस भरी हुई है बाकी सिलेण्डर खाली है व गैस भरने की रिफिल को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

खाद्य विभाग जयपुर से प्राप्त परिपत्र दिनांक 19.8.2000 एवं 20.10.2000 के अनुसार 6 ए के तहत न्यायालय द्वारा राजसात किये गये वे सभी गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त पडे हैं तथा उनका निस्तारण नहीं हुआ है तथा जिनका पुनः उपयोग बिना ऑयल कम्पनी की सहमति एवं निरीक्षण के करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं हैं। ऐसे सभी सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त या राजसात किये गये हैं को सुरक्षा कारणों से निस्तारण हेतु ऑयल कम्पनी को वापस लौटा दिया जावे। गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर ऑयल कम्पनी की सम्पत्ति है इसे खुले बाजार में नीलामी में नहीं बेचा जा सकता। न्यायालय के निर्णय उपरान्त निस्तारण की दृष्टि से जो भी उपाय होते हैं, वह सम्बन्धित ऑयल कम्पनी ही करेगी। इस हेतु ऑयल कम्पनी से कोई राशि वसूल नहीं की जानी है। परन्तु ऑयल कम्पनी को उक्त सिलेण्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धनराशि ऑयल कम्पनी राजकोष में जमा करायेगी। थाना अधिकारी थाना निहालगंज व जिला रसद अधिकारी धौलपुर को आदेश दिये जाते है कि वह जब्त शुदा माल का नियमानुसार निस्तारण करावे। निर्णय की प्रतिलिपि वास्ते पालना हेतु थाना अधिकारी थाना निहालगंज व जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफतर हो । नम्बर से कम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible])
जिला कलक्टर, धौलपुर
धौलपुर